राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 37 / 2022 दायर तारीख 16.06.2022

अनवान्

1. केसर पुत्री मोडा जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शंकरी पुत्री मोडा जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. डालीबाई पत्नि हीरालाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. हीरालाल पुत्र नाम नामालूम जाति भील उम्र बालिग मार्फत पत्नि डालीबाई पत्नि हीरालाल जाति भील उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. जडाव पत्नि स्व0 भवाना जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजू पिता मदनलाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. जानूदेवी उर्फ चॉदी पत्नि राजू जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. नन्दा पुत्र भवाना जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. सन्तोष पत्नि नन्दा जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 13 / 11 /2025

डिक्री दिनांक : 13 / 11 /2025

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय जौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री मप्रकाश शर्मा को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम आरोली प0ह0 आरोली हसील बिजोलियाँ स्थित वादियान के खाते एवं कब्जे की चाह संख्या 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पर तिवादीगण को जबरन अतिचार नहीं करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने, चाह की गी दिवार को नही हटाने, मौजूदा दिवार को यथावत मरम्मत करने देने में बाधा उत्पन्न न करने व न्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की गई । खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13...... माह 11... वर्ष 2025 को जारी किया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 37 / 2022 दायर तारीख 16.06.2022

अनवान्

1. केसर पुत्री मोडा जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शंकरी पुत्री मोडा जाति गुर्जर उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. डालीबाई पत्नि हीरालाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. हीरालाल पुत्र नाम नामालूम जाति भील उम्र बालिग मार्फत पत्नि डालीबाई पत्नि हीरालाल जाति भील उम्र बालिग निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. जडाव पत्नि स्व0 भवाना जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजू पिता मदनलाल जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. जानूदेवी उर्फ चॉदी पत्नि राजू जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. नन्दा पुत्र भवाना जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. सन्तोष पत्नि नन्दा जाति भील उम्र बालिग व्यवसाय मजदूरी व कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य– अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13 / 11 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1–3 जा0दी0 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं उनकी स्व0 माता हंगामी पत्नि स्व0 मोडा मौजा ग्राम आरोली प0ह0 आरोली तहसील बिजौलियां स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण इस प्रकार है :– नाम खातेदार केसी पुत्री मोडा गुर्जर 1/3 हिस्सा, शंकरी पुत्री मोडा गुर्जर 1/3 हिस्सा, हंगामी पत्नि स्व0 मोडा गुर्जर देह भूदान होल्डर खसरा नम्बर 366 रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.5342 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 377 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै0मू0 ओडी, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर गै0मू0 चाह कुल किता 6 रकबा 2.2824 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

1/3 हिस्से की खातेदार स्व0 हंगामी की मृत्यु हो गयी है जिसकी उत्तराधिकारी वादियान है लिए हंगामी पत्नि स्व0 मोडाजी की मृत्यु के बाद वादियान प्रत्येक 1/2 हिस्से की कब्जेधारी खातेदार कुल खसरा नम्बरान की भूमि मे से खसरा न0 368–369–370 रकबे वाली भूमि चाह संख्या 375 से चित दर्ज होने से उक्त सभी खसरा नम्बरान की भूमि किस्म चाह तृतीय है। वादियान द्वारा अपनी तेदारी मे दर्ज भूमि को प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को रहन विक्रय नहीं किया गया हैं कुलिया कृषि मि उनके एकल खाते एवं कब्जे की भूमि हैं। वादियान वृद्ध होने से उन्होने अपने खाते की भूमि की खभाल का जिम्मा मोहन पुत्र भैरूलाल गुर्जर निवास आरोली को दे रखा है जो उनके निर्देशानुसार कृषि भूमि पर काश्त करवाता है। चाह सख्या 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर वाली भूमि चाह वाली भूमि होकर पक्का कुआ एवं उसके प्राचीन समय के फेरी मौजूद हैं। चाह भूमि के रकबे की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया जा सके उसके लिए कच्चे पत्थरो की दिवार की सीमाबन्दी करवायी हुयी है जिसकी हर समय मरम्मत की जाती है। वादियान उक्त चाह भूमि पर लागत लगा विकसित करना चाहती है जिसमे बाधा उत्पन्न करने के लिए प्रतिवादीगण ने बिना किसी अधिकार के चाह भूमि के आकार व स्वरूप को बिगाड़ने व जबरन अपने अधिकार स्थापित कर वादियान को चाही भूमि के रकबे से वंचित करना चाहते है इसलिए बार बार चाह की दिवारो को आये दिन गिराते रहते है व चाह भूमि के रकबे पर गन्दगी डालते है और उन्हे लैट्रीन करने के उपयोग से रोकने पर भी नही मानते है व धमकी देते है कि हमारे मकान पास ही और हमारे घरो मे लैट्रीन नही है इसलिए वादियान की कृषि भूमि का उपयोग लैट्रीन के रूप में करेगें। यदि वादियान या उनके आदमियो ने रोका तो वे अनुसूचित जनजाति के होने से एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा जेल भिजवा देगें जिससे वादियान व उसके आदमी जेल चले जायेगें व सरकार उन्हे मुकदमा दर्ज करवाने पर नगद राशि भी देगी। वादियान प्रतिवादीगण की धमकियो से भय आंतकित हो अपने अधिकार व कब्जे की भूमि को संरक्षित रखने मे असमर्थ हो रही है। दिन प्रतिदिन प्रतिवादीगण वादियान पर हावी हो उनकी चाह भूमि पर अवैध कब्जा स्थापित कर मनमाना उपयोग करना चाह रहे है। प्रतिवादीगण के मकानात भी वादग्रस्त खसरा न0 375 रकबा 0.0243 किस्म भूमि चाह के पास स्थित है एवं प्रतिवादीगण के मकानात से दो दिशाओ से घिरी वादीगण की चाह हैं। प्रतिवादीगण के मकानात पर जाने के लिए अलग से रास्ता स्थित है जो पंचायत आरोली द्वारा आबादी में प्रदत्त किया हुआ है। प्रतिवादीगण के मकानात पर आने जाने ट्रैक्टर ट्रोली लाने ले जाने शिक्षा चौडा रास्ता खसरा नं0 376 वाला है जिसके बाबत रास्ता बन्द होने का प्रतिवादीगण ने विवाद किया तो पंचायत द्वारा दिनांक 04–03–2022 को मौका निरिक्षण किया व रास्ता मौके पर खुलासा पाया। इस प्रकार प्रतिवादीगण के मकानात पर रास्ता मौजूद होते हुये प्रतिवादीगण ने वादियान के खाते मे दर्ज चाह संख्या 375 मे रास्ता उपलब्ध कराने हेतु पंचायत आरोली पर दबाव बना रखा है जबकि किसी भी खातेदार की व्यक्तिगत खातेदारी भूमि मे होकर आबादी के मकानात पर जाने के लिए रास्ता न तो पंचायत दे सकती है न ही अन्य कोई अधिकारी रास्ता देने के लिए अधिकृत हैं। मौके पर वादियान की खातेदारी मे दर्ज चाह खसरा न0 375 मे पक्का बन्धा हुआ कुवाँ है जिसका फेरा प्राचीन समय से पूर्वी दिशा मे है। वादियान को अपने खाते मे दर्ज चाह उसके रकबे वाली भूमि का निर्बाध रूप से उपयोग करने के साथ उसे अपने तरिक्के से चाह के रकबे के कच्ची पक्की दिवार एवं फैन्सींग द्वारा संरक्षित करने का अधिकार है। साथ ही किसी भी अतिकमी को अपनी सम्पति को बचाने उचितोचित उचित कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार है। दिनांक 08–02–2022 के करीब एक माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादियान की चाह पर लगी दिवार को दो तरफ से रात्रि के समय गिरा दिया एवं काफी सारी रोडी चाह परिसर मे डाल दी एवं चाह के मध्य मे से वाहन निकाले। वादियान ने जिन अपने रिश्तेदारो को अपनी खाते की चाह को सिमराबी के लिए दे रखी थी वे उन्हे जानकारी होने पर मौके पर गये व चाह की दिवार को ठीक कर प्रतिवादीगण की चाह संख्या 375 में आवाजाही को रोकने का प्रयास किया तो प्रतिवादीगण जो संख्या में बहुतायत से है ने धमकी दी कि वे अनुसूचित जनजाति के है उन्हे कही कोई कही से भी आने जाने से नही रोक सकता। वादियान की और से रोकने का प्रयास किया गया तो वे भूजबल व पाश्विक बल का उपयोग कर खसरा न0 375 मे रास्ता कायम कर निकलेगें। राज्य सरकार से भी हम संरक्षित है। वादियान को उनकी खातेदारी भूमि मे हमे रास्ता देना ही पडेगा अन्यथा वे जबरन वादीयान का कब्जा हटा कुलिया भूमि पर कब्जा कर लेगें। वादियान अपनी चाह खसरा न0 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर को सुरक्षित रखने व प्रतिवादगीण अनुचित अतिचार को रोकने के लिए व चाह की दिवारे सुरक्षित रहे उसके लिए न्यायालय से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वादियान खसरा न0 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पर सुरक्षित रूप से काबिज रहने उसको उन्नत आबाद करने व दिवारो को पूर्ववतः स्थापित करने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 08–04–2022 को वादियान की चाह पर लगी दिवार को क्षतिग्रस्त कर जबरन आवाजाही शुरू करने से बिनायदावा उत्पन्न हो जारी है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः वादीगण अनुतोष चाहते है कि – (अ) कि मौजा आरोली प0ह0 आरोली तहसील बोलियाँ स्थित वादियान के खाते एवं कब्जे की चाह संख्या 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण जबरन अतिचार करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने, चाह की लगी दिवार को नही ने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। कि प्रतिवादीगण वादियान को उनके कब्जे वाली चाह की कच्ची पक्की सीमाबंदी करने से रोकने जूदा दिवार को यथावत मरम्मत करने देने में बाधा उत्पन्न न करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र ज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने अन्डर टेकिंग (UT) ली।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

उक्त प्रकरण में वादपत्र के साथ ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली की नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076, खसरा नक्शा की फोटोप्रति प्रस्तुत की हैं

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

पत्रावली में वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया ।

बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष मौजा ग्राम आरोली प0ह0 आरोली तहसील बिजोलियाँ स्थित वादियान के खाते एवं कब्जे की चाह संख्या 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण को जबरन अतिचार करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने, चाह की लगी दिवार को नही हटाने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना चाहा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने पर यह वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम आरोली प0ह0 आरोली तहसील बिजोलियाँ स्थित वादियान के खाते एवं कब्जे की चाह संख्या 375 रकबा 0.0243 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण को जबरन अतिचार नहीं करने, चाह के आकार व स्वरूप को बिगाडने से रोकने, चाह की लगी दिवार को नही हटाने, मौजूदा दिवार को यथावत मरम्मत करने देने में बाधा उत्पन्न न करने व अन्यथा अपने अधिकार स्थापित करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 13 / 11 /2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ